प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 27.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बेलहरकला पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 180 वाहनों से 2,22,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 27.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 180 वाहनों से 2,22,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खीलालाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0स0 287/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना कोतवाली खीलालाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता नितिन कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी दलेलगंज थाना कोतवाली खीलालाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 22.04.2026 को ग्राम दलेलगंज के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 18.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 22.04.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

***गिरफ्तार/बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार तिवारी, का0 श्यामनरायन, म0का0 प्रतिक्षा यादव।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 26.04.2026 को थाना धर्मसिंहवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त वहीदुद्दीन उर्फ वहीद पुत्र कमरुद्दीन निवासी बरगदवा अंसारी थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को मेहदूपार चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 25.04.2026 को थाना धर्मसिंहवा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को शादी को झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संदीप कुमार राय, हे0का0 सुरेन्द्र यादव, म0का0 पूनम गौंड।

महोदय,

अनिल निषाद पुत्र भागीरथी निवासी गायघाट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के शव का अंतिम संस्कार बेड़हरघाट पर हो रहा है। क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक धनघटा, प्रभारी निरीक्षक दुधारा व अन्य अधिकारी/पुलिस बल मौजुद है। मौके पर शांति व्यवस्था कामय है। सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेहदावल द्वारा दिनांक 27.04.2026 को मु0अ0सं0 168/2026 धारा 115(2),352, 351(3) पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही प्रलित है।

उक्त प्रकरण में थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 110/191(2)/191(3)/115(2)/125 बीएनएस बनाम 01.प्रह्लाद यादव पुत्र राजकुमार 02.कमलेश उर्फ मोलहू पुत्र विश्वनाथ 03.संजय पुत्र रामनाथ 04.श्रीकेश य़ादव पुत्र फेंकू 05.श्याममोहन पुत्र सरसराम यादव 06.सन्तोष पुत्र रामनाथ 07.वीरेन्द्र पुत्र गंगाराम निवासीगण जमोहरा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 आशुतोषमणि त्रिपाठी द्वारा प्रचलित है।

https://www.facebook.com/reel/2057370404843500
प्रकरण पुलिस विभाग से संबंधित नही है।

कृपया पेपर कटिंग के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या तत्काल भेजाना सुनिश्चित करें।
जनपद/थाना- धनघटा
मुकदमा/गिरफ्तारी-05
दिनांक घटना- 22.04.2026
कास्ट एंगल- निषाद
घटना का संक्षिप्त विवरण- डी0जे0 को नाचने के लेकर विवाद/ प्रतिवादी द्वारा नोचने के दौरान ककड़ फेकने कहासूनी
सम्बन्धित थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी का मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध कराये
प्रभारी निरीक्षक धनघटा मो0न0 9454404313
क्षेत्राधिकारी घनघटा मो0न0 9454401912

घटना का विवरण
महोदय,
सादर अवगत कराना है कि दिनांक-26.04.2026 को ग्राम गायघाट मे बारात मे दो पक्षों मे विवाद हुआ था जिसमे अनिल निषाद पुत्र भागीरथी उम्र करीब 22 वर्ष ग्राम गायघाट थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर के घर से बारात जा रही थी तथा ग्राम गायघाट मे ही बगल मे जोगिन्दर निषाद के लड़की की शादी थी तथा सिन्टू पुत्र सम्हल के घर से ग्राम तामा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर मे बारात जा रही थी कि परछावन के दौरान डी0जे0 पर नाचने की बात को लेकर दोनो पक्षों मे विवाद हुआ,मारपीट के दौरान अनिल निषाद पुत्र भागीरथी उम्र करीब 22 वर्ष निवासी गायघाट , दीपक पुत्र हरिलाल,सुरेन्द्र , अमित,धीरज निवासीगण भरवल पर्वता थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर घायल हो गये थे, मौके पर पी0आर0वी0 व चौकी प्रभारी बसवारी गाँव मौके पर पहुँचकर घायलों को परिजन द्वारा सी0एच0सी0 मलौली भेजा गय तथा अनिल निषाद उपरोक्त को उनके परिजनो द्वारा गोरखपुर के प्राईवेट अस्पताल ले जाया गया तथा रात मे 03.00 बजे ग्राम गायघाट के कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाया गया कि अनिल निषाद उपरोक्त की मारपीट के कारण मृत्यु हो गयी है तथा ग्रामवासियों द्वारा अनिल निषाद के शव को जोगिन्दर निषाद के घर के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था । समय करीब 07.00 बजे/27.04.2026 को अनिल निषाद को शरीर मे कुछ हलचल हुई, परिजनो द्वारा तत्काल दवा इलाज हेतु गोरखपुर ले जाया गया , इलाज के दौरान अनिल कुमार की मृत्यु हो गयी।
पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-
महोदय,
सादर अवगत कराना है कि उक्त घटना की जांच के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा ,मुझ प्रभारी निरीक्षक मय हमराह उ0नि0 रामदरश यादव , चौकी प्रभारी बंसवारी गाव एखलाक अहमद व हमराहीगण के साथ ग्राम गायघाट पहुँचा जहाँ पर ग्रामवासियों द्वारा अनिल निषाद को जोगिन्दर निषाद के घर के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, समय करीब 07.00 बजे/27.04.2026 को अनिल निषाद को शरीर मे कुछ हलचल हुई, परिजनो द्वारा तत्काल दवा इलाज हेतु गोरखपुर ले जाया गया । इलाज के दौरान अनिल निषाद की मृत्यु हो गयी। मृतक अनिल कुमार के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है । प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 -243/26 धारा-103(1)/191(2)/191(3)/190/125/115(2)/352 BNS पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही मुझ प्र0नि0 द्वारा की जा रही है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभियोग से सम्बन्धित 05 अभियुक्तो को हिरासत में लेकर पुछताछ की जा रही है। मौके पर थाना स्थानीय की पुलिस बल , महुली थानाध्यक्ष मय हमराह व QRT पुलिस बल तैनात है। मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम है।